

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :—र.रिपोर्ट / 2—7(5)विविध / अभि / 15 / ३२७८-७९

दिनांक :— १६.१०.१८

—परिपत्र—

पुलिस मुख्यालय द्वारा अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु गंभीर प्रकृति के अपराधों से संबंधित प्रकरणों को केस ऑफिसर रकीम में रखा जाता है। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों/परिपत्रों की निरतंत्रता में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

- 1 सहायक निदेशक अभियोजन, अभियोजन अधिकारी व सहायक अभियोजन अधिकारी केस ऑफिसर योजना के अन्तर्गत चयनित प्रकरणों की प्राथमिकता से सुनवाई सुनिश्चित करवाकर कम अन्तराल की पेशियां लेने हेतु विशेष प्रयास करें।
- 2 सहायक निदेशक अभियोजन, अभियोजन अधिकारी व सहायक अभियोजन अधिकारी संबंधित केस ऑफिसर से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्राप्त करें।

  
(रमेश कुमार शर्मा)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिरीक्षक पुलिस, कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध शाखा) राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त उप / सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त अभियोजन अधिकारीगण को उक्त परिपत्र की प्रति उपलब्ध कराकर पालना करायें।

  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान, जयपुर